

सेवामें
इन्द्राज दुरुस्ती
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

कार्यालय
7-11-25

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
गंगापूर सिटी

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम तहसिल के खाता संख्या 95
में इन्द्राज दुरुस्ती बाबत ।

महोदय

प्रार्थी: - कुलेश चित्त वैरवा गंगापूर सिटी

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम तहसिल के खाता संख्या 95 में प्रार्थी के पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी मिता माता की नाम/जाति/हिस्सा वैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी की मिता माता का नाम/जाति/हिस्सा वैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

[Signature]
हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी
गंगापूर सिटी
तहसील

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी

क्रमांक 5244

दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति-चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति-वैरवा दुरुस्त करने की अभिशंषा की जाती है।

[Signature]
तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (राज०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

क्रमांक

दिनांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला राजस्थान की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या 95 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि जाति-चमार के स्थान पर जाति-वैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

[Signature]
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

7135
17-11-25

111
17-11-25
2025
542

3105
07/11/25

